

राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं मू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।

विज्ञापन संख्या 2013/1 दिनांक 18-3-2013

राजस्थान खान एवं मू विज्ञान विभाग अधीनस्थ सेवा नियम 1980 तथा समय समय पर होने वाले संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधीभर्ती हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	भरे जाने वाले पद	अनु.जाति				अनु.जगजाति			अ.पि.व			सामान्य			
			म.	मू०पू०सै०	खिलाडी	पु.	म.	नि:शक्त	पु.	म.	मू०पू०सै०	पु.	म.	मू०पू०सै०	पु.	
1	खनि कार्यदेशक-II	22		1				1		1	1		5	3	10	
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	(i) Diploma in Mining Engineering from a Recognised polytechnic or (ii) B.Sc. with Geology with one year experience in field work, mapping & surveying.														
2	सर्वेयर	23			1		2			1	2	4	4	3	6	
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	Diploma in Mining or civil Engineering from any recognised Institute of polytechnic														
3	रसायनिक सहायक	5	1									1		1	2	
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	B.Sc. With Chemistry as one of the optional subject														
4	कनिष्ठ प्रयोग शाला सहायक	4	1									1	1		1	
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	Senior Higher Secondary or / Higher Secondary or its equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics														
5	कनिष्ठ मानचित्रकार	22	1	1		1	1	1		3	1	2	4	2	5	
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	Matriculate with diploma or certificate in Draftsmanship(civil) from any recognised institute Or Matriculate with drawing and having intermediate Grade Drawing Examination certificate with 2 years recognised practical experience in a drawing office concerning mining and/or Geological work. Or Matriculate or person with Diploma or Certificate in Draftsmanship(Civil) appointed temporarily as Junior Draftsman prior to the commencement of these Rules with five years service as Junior Draftsman														
6	रिगमेन	4													4	
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	Having practical experience of rigging pumping and pipe fitting work														
7	चालक	12	4	1	1		1			1	3	1				
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	Educated upto VIII class with Heavy & light Duty driving Licence and 3 years experience as Driver and must also possess the following :- i) sight 6X6 with or without glasses. ii) Knowledge of road side repairs and efficiency in Driving to be examined through trade test by the Appointing authority.														
8	मेकेनिक ग्रेड-I	9	1							1	1			1	1	4
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	(i) Matric or its equivalent with Carftsman certificate issued by the I.T.I. or National Council of Vocational Trade or Crafts with 1 Year Experience OR Diploma in Mechanical Engineering from a recognised Institute.														
9	पम्प ओपरेटर	6								1	1			1	1	2
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	Having 3 years practical experience of operation of water pumps, Generators and diesel engines.														
10	विद्युतकार	2													2	
	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	Experience to working Electric pumps winding Haulage Engines and Lighting etc. for three years														

पद क्रम संख्या 1 से 3 एवं 8 पी.बी.2(9300-34800) ग्रेड पे 3200, पद क्रम संख्या 4 एवं 5 पी.बी.1(5200-20200) ग्रेड पे 2400 एवं पद क्रम संख्या 6 पी.बी.1(5200-20200) ग्रेड पे 1850 क्रम संख्या 7,9 एवं 10 पी.बी.1(5200-20200) ग्रेड पे 1900 देय होगी ।

नोट:- 1) भर्ती हेतु आवश्यक शर्तें, यथा आय, आरक्षण सम्बन्धि विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.dmg-raj.org, www.dmgraj.gov.in एवं निदेशालय नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है एवं उसी के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है । 2) आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 18.04.2013 तक निदेशालय, खान एवं मू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के आवक-जावक अनुभाग कमरा नम्बर 123 में रखे गये बॉक्स में साथ छ: बजे तक डाल सकते हैं । निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे । 3) आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग रु. 100/- व अ.जा. अ.ज.जा. एवं नि:शक्त रु. 50/- देय । यदि किसी प्रवर्ग में उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं तो उस प्रवर्ग की शक्तियां उसी श्रेणी / वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेगी । अतः महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं खिलाडी के पद जिस प्रवर्ग में है उनके लिये उस वर्ग से सम्बन्धित अन्य अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं । उदाहरणार्थ अ.जा.महिला उपलब्ध नहीं होने पर अ.जा. पुरुष वर्ग से, भूतपूर्व सैनिक व खिलाडी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के अन्य पुरुष से भरा जा सकेगा ।

निदेशक
खान एवं मू विज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
विज्ञापन संख्या 1/2013 दिनांक 18.03.2013
भर्ती हेतु आवश्यक शर्तें

1. विज्ञापित पदों में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को उपरोक्त सेवा नियम 7 के उपनियम (4) के प्रावधानान्तर्गत तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। किन्हीं भी परिस्थितियों में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
3. विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, अराजपत्रित कर्मचारी, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत् रूप से होगा, परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।
4. किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
5. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
7. निःशक्तजन के लिये दर्शाए गये आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा तथा नियम 5(4) के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण के, पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जायेगा।
8. ऐसे आवेदक जो निःशक्ता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्ता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल में गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्ता का स्पष्ट प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्ता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
9. उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित हैं, राज्य से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ, द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैंडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :-
एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कुल खेलों दक्षिण खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहाँ उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम में) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हों।
10. अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन लिखित एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर होगा। साक्षात्कार के लिये वर्गवार विज्ञापित पदों के तीन गुणा लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पद के लिये निर्धारित योग्यता के स्तर का होगा।
11. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
12. पेंशन:- नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी।
13. राज्य सरकार की अधिसूचना प.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं प.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प. 11(7)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 (अनुसूची-4) के अनुसार 2 वर्ष की परिविक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी जावेगी।
14. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिविक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक

नियत, पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा। भर्ती नियमों में उल्लेखित परिक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही नियमित वेतन श्रंखला एवं भत्ते देय होंगे।

आयु:- राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग अधीनस्थ तकनीकी सेवा नियम 1960 के नियम 11 के अनुसार आवेदक 1 जनवरी 2014 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि उपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में :-

- 1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़ा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 2 सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 3 पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी
- 4 रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य कास/वीरचक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।

- 5 विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की डिक्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा।

- 6 एन.सी.सी. के कैडिट-प्रशिक्षकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
- 7 राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम 2000 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 15 वर्ष की छूट होगी।
- 8 निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होंने विभाग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्त कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
- 9 भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति का पात्र था, के लिये अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- 10 अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

उपरोक्त आयु सम्बन्धी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

नियुक्ति के लिये अयोग्यता:-

- 1 किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं।

- 2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पति है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं।
- 3 किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
- 4 राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह -13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- 5 राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे।
- 6 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :— परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्तवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

7. राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग अधीनस्थ तकनीकी सेवा नियम 1960 के नियम, 15 के अनुसार अभ्यर्थी लिखित व मौखिक सिफारिश करवाता है तो नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जावेगा।
8. अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे।
9. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश सर्वथा लागू होंगे।

आवेदन शुल्क :-

- (1) सामान्य आवेदक हेतु - रुपया 100/-
- (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/नि:शक्तजन के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है - रुपया 50/-
- (3) नि:शक्तजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व./सामान्य सभी श्रेणी के नि:शक्त जन सम्मिलित है) के आवेदकों हेतु रुपया 50/-

1. आवेदन अपनी श्रेणी के अनुसार विज्ञापन में यथा निर्दिष्ट शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर से "निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर" के नाम पर बना हुआ एवं उदयपुर में देय होगा।
2. आवेदक डिमाण्ड ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदन का पूरा नाम एवं आवेदित पद अवश्य लिखेगा।
3. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 18.04.2013 तक निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के आवक-जावक अनुभाग 123 में रखे गये बॉक्स में सायं 6.00 बजे तक डाल सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
4. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्ता लिखा हुआ 9" गुणा 4" साईज का लिफाफा जिस पर रुपया 25/- का डाक टिकिट लगा हो, संलग्न करना आवश्यक है।

निदेशक 18/3
खान एवं भूविज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर